



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 वैशाख 1932 (श0)  
(सं0 पटना 304) पटना, शुक्रवार, 30 अप्रैल 2010

विधि विभाग

अधिसूचना

30 अप्रैल 2010

सं0 एल0जी0-1-09/2010/लेज-155—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 24 अप्रैल 2010 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
राजेन्द्र कुमार मिश्र,  
सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 23, 2010]

बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2010

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 6, 2006) को संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ ।— (1) यह अधिनियम बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा-60 का संशोधन ।— बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 6, 2006) की धारा-60(1) में उल्लिखित वाक्य "सरकार पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में किसी पदाधिकारी को नियुक्त करेगी, जो उप-समाहर्ता से न्यून स्तर का नहीं होगा।" निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

"सरकार पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी को नियुक्त करेगी।"

30 अप्रील 2010

सं० एल०जी० 1-09/2010/लेज-156—बिहार विधान मंडल द्वारा यथा-पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 24 अप्रील 2010 को अनुमत बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम 2010 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजेन्द्र कुमार मिश्र,

सरकार के सचिव।

[Bihar Act 23, 2010]

# THE BIHAR PANCHAYAT RAJ (AMENDMENT) ACT, 2010

AN

ACT

TO AMEND THE BIHAR PANCHAYAT RAJ ACT, 2006 (BIHAR ACT 6, 2006)

BE it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixteenth one year of the Republic of India as follows :-

1. *Short title, extent and commencement*—(1) This Act may be called the Bihar Panchayat Raj (Amendment) Act, 2010.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. *Amendment of Section-60 of the Bihar Act 6, 2006* —In Section-60(1) of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006 (Bihar Act 6, 2006) the sentence

"The Government shall appoint an officer not below the rank of Deputy Collector to be the Executive Officer of the Panchayat Samiti." Shall be substituted as follows, namely :-

"The Government shall appoint the Block Development Officer as Executive Officer of the Panchayat Samiti."

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 304-571+400-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>